कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उत्तर प्रदेश लखनऊ।
परिपत्रांक–सी: 19 /अधि02–6(3) दिनांक : 11 जून 2015

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
   सहकारिता, उ0प्र0।
2. सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
   समस्त जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0।

शासनादेश संख्या–1516/12–2–2014–60(5)/2012 दिनांक 31.05.2014 द्वारा वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के खरीफ एवं रबी मौसम में राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किये जाने तथा शासनादेश संख्या–1620/12–2–2014–60(6)/2012 दिनांक 24.06.2014 द्वारा वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के खरीफ एवं रबी मौसम में प्रदेश के चयनित जनपदों–मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, फतेहपुर, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहॉपुर, रायबरेली एवं फैजाबाद में मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत ऋणी कृषकों को स्वीकृत ऋणों का बीमाच्छादन अनिवार्य रूप से तथा गैर ऋणी कृषकों को उनकी इच्छानुसार संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना में से किसी एक में सम्मिलित होने का विकल्प उपलब्ध है।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना से आच्छादित कृषकों की फसलों को हुई क्षति एवं बीमा कम्पनियों से प्राप्त क्लेम के सम्बन्ध में शासन स्तर पर हुई समीक्षा बैठक से यह संज्ञान में आया है कि अधिकांश जनपदों में ऋणी कृषकों की फसलों का बीमा नहीं कराया गया है, जिसके फलस्वरूप दैवीय आपदा की स्थिति में कृषकों को फसलों की क्षति का क्लेम प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कुछ जनपदों द्वारा फसल बीमा प्रीमियम की धनराशि सम्बन्धित बीमा कम्पनी को समय से उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा बीमा प्रस्ताव अस्वीकार किये जाने का संदर्भ भी संज्ञान में आया है।

उपरोक्त वर्णित स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान खरीफ सीजन में उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ऋणी कृषकों को स्वीकृत ऋणों का बीमाच्छादन अनिवार्य रूप से कराना तथा फसल बीमा प्रीमियम की धनराशि सम्बन्धित बीमा कम्पनी को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ को भी नियमित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(शैलेश कृष्ण),
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्रांक–सी: 19 /अधि02–6(3) दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
2. समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।